प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और

माननीय श्री टी.पी.शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 124/2001

रायवती बाई उर्फ बुधि

//बनाम//

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय के लिए विचार

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ। मान.श्री टी.पी.शर्मा न्यायाधीश

सही/-
टी.पी.शर्मा
न्यायाधीश

निर्णय की उदघोषणा हेतु दिनांक 30.11.2010 को सूचिबद्ध करे।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और

माननीय श्री टी.पी.शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 124/2001

अपीलकर्ता रायवती बाई उर्फ बुधि (रायपति बाई उर्फ बुती त्रुटिपूर्ण दर्शित) पति श्री साधुराम , उम्र - करीबन 32 वर्ष , निवास – ग्राम कोकियाखार, थाना बागबहार, तहसील एवं जिला – जशपुरनगर, (छ.ग.)

//बनाम//

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला न्यायाधीश जशपुरनगर (छ.ग.)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता)

प्रस्तुतः श्री एच. एस. पटेल, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री एन. के. मेहता राज्य/प्रत्यर्थी के शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

दांडिक अपील संख्या 124/2001

(30.11.2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा**, के द्वारा उद्घोषित

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 167/99 में दिनांक 12.12.2000 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

2. आक्षेपित निर्णय में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत सिद्धदोष ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माना तथा 2 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और चुक होने पर 500 रुपये जुर्माना तथा क्रमशः 5 वर्ष और 6 माह की सजा सुनाई गई है।

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार है:-

मामला कौशल्याबाई नामक लगभग 2 वर्ष की एक बालिका की मृत्यु से संबंधित है। वह अपीलार्थी रायवती की पुत्री थी। दिनांक 04.07.1999 को मृत बच्ची का शव आरोपी व्यक्ति के घर के पास एक कुएं में मिला था। आरोपी दुलेश्वरी बाई रायवती की बहन है और आरोपी रंभा बाई रायवती की माँ है। चौरंग प्रसाद (अभि.सा.-2) आरोपी दुलेश्वरी बाई का पति वे दोनों कोकियाखार गांव में साथ रहते थे। चौरंग

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रसाद (अभि.सा.-2) द्वारा मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) दर्ज करायी गयी थी। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे पंचों को सूचना दी और मृतका के शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/3) बनाया । शव को शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया। शव परीक्षण जांच डॉ.चंदेल राम भगत (अभि.सा./5) उन्होंने जाँच प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/4) बनाई है । उन्होंने गर्दन के दाहिने हिस्से में सूजन जकड़न और लालिमा देखी। जीभ बाहर निकली हुई थी और दांतों के बीच फंसी हुई थी। उन्होंने बताया कि मृत्यु का कारण गला घोंटकर सांस लेने की नली बंद होने के कारण दम घुटना था मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मृतका के मृत्यु अभियुक्तों के घर में गला घोंटकर की गई थी और उसके बाद शव को कुएं में इस आशय से फेंक दिया गया था ताकि यह दर्शाया जा सके कि यह मृत्यु डूबने से हुई मृत्यु है । अभियुक्तों ने अपने बचाव में तर्क दिया कि बालिका दिनांक 03.07.1999 की संध्या से गुमशुदा थी। वह घर से जामुन खाने की बात कहकर गयी थी; जब वह वापस नहीं लौटी, तो खोजबीन की गई और उसका शव कुएं में मिला ।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया की यह एक मानव वध थी । यह गला घोंटने से हुई थी। सत्र न्यायाधीश ने आगे

कहा कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि दो अन्य सह अभियुक्तों दुलेश्वरी बाई और रंभा बाई नामक व्यक्तियों ने मृतक का गला घोंटने या शव को कुएं में फेंकने में भाग लिया ।यह माना गया कि गला घोंटने की घटना अपीलकर्ता रायवती बाई द्वारा की गई थी, इसलिए अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य दो सहआरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एच.एस.पटेल ने मृतक की मानव वध का खंडन नहीं किया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलकर्ता ने मृतका की हत्या की है। सत्र न्यायालय का निर्णय संदेह पर आधारित है। चूँकि अपीलकर्ता मृतक की माँ है, इसलिए सत्र न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उसने ही मृतक की हत्या की होगी। उक्त निष्कर्ष निराधार है और अभिलेखों में कोई सामग्री भी उपलब्ध नहीं है।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री एन. के. मेहता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से श्रवण किया है तथा सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

7. स्वीकृत रूप से , घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। केवल इस परिस्थिति के कि मृतका अपीलकर्ता की पुत्री थी और वह अभियुक्तों के साथ उसी स्थान पर ग्राम कोकियाखार में उनके घर रह रही थी। अपीलकर्ता को प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर अन्य कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। सत्र न्यायाधीश ने निर्णय के कंडिका-08 के माध्यम से माना है कि बचाव पक्ष के कथनानुसार मृतका कौशिया बाई के साथ खेल रही लड़कियों ने उन्हें बताया कि कौशिया बाई कुएं में गिर गई है, लेकिन किसी भी लड़की से बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है, इसलिए अपीलकर्ता के विरुद्ध एक अनुमान लगाया जा सकता है।सत्र न्यायाधीश ने एक सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया की मृतका को आखिरी बार कब और किसके साथ जीवित देखा गया था। इस निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद सत्र न्यायाधीश ने यह माना कि सामान्यतः छोटा बच्चा माँ के साथ रहता है, इसलिए माँ को यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बताना होगा कि उसकी मृत्यु से पहले बच्चा कहा गया था जो इस मामले में नहीं आता है। उक्त परिस्थितियों के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया उपरोक्त निष्कर्ष युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। यह निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित प्रतीत होता है न कि अभिलेख पर सिद्ध तथ्यों पर है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बालिका दिनांक 03.07.1999 की संध्या से गुमशुदा थी और देर रात उसका शव कुएं में मिला। बालिका घर से यह कहकर गई थी कि वह जामुन खाने जा रही है।इसलिए अभिलेख पर किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को स्थिर रखना कठिन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. *धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एस.सी.सी. 22 में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि*, " परिस्थितिजन्य आधार पर एक मामले में साक्ष्य के आधार पर जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए अपितु यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की हो और केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप हो उन परिस्थितियों को अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकता और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप विश्वास के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे । यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि केवल न्यायालय का आक्रोश नहीं बल्कि विधिक रूप से स्थापित परिस्थितियां दोषसिद्धि का आधार बन सकती है और अपराध जितना गंभीर प्रकृति का होगा साक्ष्य की जांच में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए कहीं ऐसा न हो कि संदेह प्रमाण का स्थान ले लेवे।”

9. ***बोध राज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू कश्मीर राज्य ए.आई.आर. 2002 एस.सी.3164*** *में, सर्वोच्च न्यायालय* ने यह प्रतिपादित किया की इसमें कोई संदेह नहीं है की दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हो सकती है, अपितु परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि से पहले की पूर्व स्थितियां पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। वे है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. **जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है उन्हें पूर्णरुपेण स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को 'अवश्य' या 'होना चाहिए' के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, न कि 'हो सकता है' के रूप में;**
2. **इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात उन्हें अभियुक्त के**

दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किया जा सकता;

3. **परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;**
4. **उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए; और**
5. **साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे तथा यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10 .वर्तमान प्रकरण में हमें, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं मिलती जो केवल अपीलकर्ता के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हो। उपरोक्त परिस्थितियां जिन्हें आगे बढ़ाया गया है व्याख्या योग्य है। परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं है जिससे अपीलकर्ता के अपराध को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को खारिज किया जा सके।उपरोक्त परिस्थितियों की श्रृंखला पुर्ण नहीं है जिससे यह माना जा सके कि मृतका के हत्या अपीलकर्ता के अलावा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं अपीलकर्ता ने की थी। यह भी स्थापित नहीं हुआ कि मृतका की अपीलकर्ता के घर में गला घोंटकर हत्या की गयी थी।।जैसा कि हमने

पुर्व में ही कह चूके हैं कि निर्णय अनुमानों पर आधारित है, परन्तु अनुमान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

11 हम आगे यह भी ध्यानाकृष्ट करते है कि अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाया गया उद्देश्य यह था कि अपीलकर्ता को उसके पति ने परित्याग कर दिया था और वह अपनी माँ और बहन के साथ अपने माता पिता के घर रह रही थी और उसका मानना था की परित्याग के बाद बच्चे का भरण पोषण करना उसके लिए संभव नहीं होगा इसलिए उसने अपने बच्चे की हत्या कारित कर दी। अभियोजन पक्ष द्वारा कथित हेतुक भी स्थापित नहीं किया गया। क्या माँ अपने इकलौते बच्चे को उसके पति द्वारा छोड़े जाने के कारण मार डालेगी ये विचार रखते हुए कि वह बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाएंगी हमारे विचार से यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। यद्यपि सभी वादो में किसी अभियुक्त को किसी अपराध का दोषी ठहराने के लिए एक मजबूत निश्चित उद्देश्य का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो और प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो तो, उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान वाद में, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध सुझाया गया हेतुक अल्पमात्र भी सिद्ध नहीं हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12 उपर्युक्त कारणों से हम, अपीलकर्ता कि दोष की स्थिरता बनाये रखने में असमर्थ है और हमारा मत है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय त्रुटि कारित की है।

13 परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। हमने पाया हैं की अपीलकर्ता इस प्रकरण में दिनांक 13.07.1999 से आज तक जेल में निरुद्ध हैं, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2001 को दंडादेश निलंबन और जमानत प्रदान करने का आदेश पारित करने के पश्चात् भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह जमानत बंध-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी । हम निर्देश देते हैं कि, यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता ना हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुवादक: छबि लाल (अधिवक्ता)

व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही,जिला-बालोद, (छ.ग.)